Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार को महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत देवरी –सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण (चौड़ीकरण) कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 2.767 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 05 -12-2022

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–12/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 6 /12/2022

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for the Rehabilitation and Upgrading of Dwari-Saldih-Gadphuljhar-Toshgaon-Toresingha Road area – 2.767 ha. regarding.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–724/1434, दिनांक 29.06.2022 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–724/2448, दिनांक 20.10.2022 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 2.767 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी महासमुन्द वनमंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक –FP/CG/Road/32638/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2018 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये कुल 24,000 रूपये जमा कराया गया है।	2 से 13
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण में परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा देवरी सालडीह–तोशगांव–गढ़फुलझर–तारेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	14
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित क्षेत्र में महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत 3.543 हे. निजी भूमि एवं 53.3184 हे. शासकीय भूमि कुल 56.861 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	15 से 16
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	17

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर का पृष्ठ संख्या / टीप
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. हेतु आवेदित वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	18
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव–** **प्रपत्र – 4 में** परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा देवरी सालडीह–तोशगांव–गढ़फुलझर–तारेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मार्ग लंबाई 1.977 कि.मी. के लिए प्रशासकीय लागत **149.06 करोड़ रू.** बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 तक है।	19 से 25
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि में मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।	26 से 37
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** प्रकरण में अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि में मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	38
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मांग न्यूनतम है तदाशय का यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द वनमंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है।	39
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण संरक्षण, मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7 (एफ) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन एवं भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	40 से 58
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में)** – प्रस्तावित मार्ग उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत 933 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	59 से 64
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न है।	65 से 72
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) की आवश्यकता नहीं है।	73
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित होने से आवश्यक नहीं।	74

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 2.767 हे. के एवज में दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।	75 से 98
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र चिखली ''ब'' कक्ष क्रमांक 469 कक्ष का रकबा 14.270 हे. में से 5.534 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य कराया जा सकता है। इसके पूर्व 5 वर्षो में चयनित क्षेत्र में किसी प्रकार के वानिकी कार्य नहीं कराया गया है स्थल निरीक्षण पश्चात प्राक्कलन तैयार किया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी महासमुन्द वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	99 से 101
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी महासमुन्द वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	102
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वनमंडलाधिकारी महासमुन्द वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	103
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	104
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** आवेदित वन भूमि 2.767 हे. के एवज में दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	105 से 106
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	107
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	108
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	109
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित देवरी सालडीह–तोशगांव–गढ़फुलझर–तारेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि में सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	110
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रपत्र–3 पर वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द द्वारा दिनांक 10.05.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 01.06.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	111 से 116
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी महासमुन्द एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	117 से 118

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत, देवरी, जामजुड़ा, पेण्ड्रवन, सल्डीह, नवागांव, बरोली, कायतपाली, सराईपाली, चिमरकेल, देवरी, लमकेना, गढ़फुलझर, तोषगांव, मोहेरापाली, अन्तर्ला एवं तोरेसिंहा ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	119 से 135
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल की कुल अधिसूचित वन भूमि 100519.270 हे. है।	136
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत 23 प्रकरण रकबा 1686.925 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	137
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के 1 प्रकरण रकबा 101.25 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तित की गई है।	138
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** वनमंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	139
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	140
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर महासमुन्द द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2021 को जारी किया गया है।	141 से 143
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से कलेक्टर, जिला महासमुन्द का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	144
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	145 से 146
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	147
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – प्रस्तावित 2.767 हे. वन भूमि मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू–क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।	148
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।	149
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	150
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	151 से 152
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित 2.767 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रभावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि पर किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी प्रभावित नहीं हो रही है । अतएव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	153

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** विद्युत लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं।	154
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।	155

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

02/12/2022

(नायर विष्णुराज नरेन्द्रन)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–12/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 /12/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

02/12/2022

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

o/c

Mahasamund Devri ROad 2.767 h